न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.2/2017
पंजीयन दिनांक 12.01.2017

(1). राजकुमार पिता भागीरथ जाति जाट निवासी नंगाखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

(1). धापूबाई बेवा भागीरथ जाति जाट निवासी नंगा खेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी, तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
प्रकरण संख्या 38/2016 निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.12.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट
(2). सोहनलाल जणवा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय **दिनांक 25.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा नंगा खेड़ी तहसील बड़ीसादडी की खाता संख्या 43 मे दर्ज आराजी संख्या 137, 138, 150, 155, 304, 309, 310, 315, 350 स्थित है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात भागीरथ जाट की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। खातेदार भागीरथ की पत्नि रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 धापुबाई है। भागीरथ जाट व धापुबाई के कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 धापुबाई एवं भागीरथ जाट ने सामाजिक रीतिरिवाज अनुसार प्रार्थी अपीलाट को गोद लिया तभी से प्रार्थी अपीलांट उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का चला आ रहा है। दिनांक 10.09.2016 को खातेदार भागीरथ की मृत्यु होने के बाद प्रार्थी अपीलांट को उसके उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे निहित हक हिस्से से वंचित रखने के उददेश्य से रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का नामान्तरण केवल स्वयं के नाम खुलवाना चाहती है जबकि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर प्रार्थी अपीलांट भागीरथ का गोदी पुत्र होने की हैसियत से भागीरथ की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे प्रार्थी अपीलांट का हक हिस्सा व स्वामित्व निहित है जिससे प्रार्थी अपीलांट का नाम उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे निहित हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है । रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का नामान्तरण केवल स्वयं के नाम खुलवाकर दीगर को हस्तांतरित करने को आमादा होने है। अन्त मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट प्रार्थी ने स्वयं के पक्ष मे होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट विपक्षी सख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वह उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के निहित हक हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे और न किसी अन्य से करावे तथा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को रहन विक्रय या हस्तांतरण अथवा खुर्द बुर्द नही करे और न किसी अन्य से करावे तथा राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया । सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पेरोकार सरकार उपस्थित हुआ । तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट को उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार मृतक भागीरथ एंव उसकी पत्नी रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 धापुबाई के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

औलाद नहीं होने से प्रार्थी अपीलांट को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया था। अपीलांट प्रार्थी भागीरथ के भाई हीरा का पुत्र है। अपीलाटं प्रार्थी गोद लेने के पश्चात से ही भागीरथ एवं रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के साथ बतौर गोदीपुत्र निवासरत होकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 10.09.2016 को खातेदार भागीरथ की मृत्यु हो चुकी है। भागीरथ का गोदी पुत्र होने की हैसियत से अपीलांट प्रार्थी का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे उसकी मृत्यु के पश्चात 1/2 हक हिस्सा निहित है। अपीलांट प्रार्थी उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे निहित अपने हक हिस्से की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है परन्तु रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का नामान्तरण केवल स्वयं के नाम खुलवाकर दीगर को हस्तांतरित करने को आमादा होने से अपीलांट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट को वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.12.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के पति भागीरथ जो उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार था जिसकी दिनांक 10.09.2016 को लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। मृतक भागीरथ की एकमात्र वारिस रेस्पोडेन्ट विपक्षी सख्या 1 है। मृतक भागीरथ की कोई जायन्दा औलाद नहीं है। प्रार्थी अपीलांट का पिता हीरालाल है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही ऐसा कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का मृतक भागीरथ का गोदीपुत्र होना साबित होता हो, साथ ही उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के नामान्तरण की कार्यवाही रोकने का कोई विधि सम्मत कारण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है तथा गोदनामे के संबंध मे सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रमाणित नही होने से खारिज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील अपीलांट वादी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 विपक्षी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.12.2016 को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे स्वर्गीय भागीरथ के नाम दर्ज कृषि आराजीयात के संबंध मे वादपत्र व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय भागीरथ ने अपीलांट प्रार्थी को बाल्यावस्था मे ही दिनांक 09.06.2013 सम्वत 2070 ज्येष्ठ सुदी एकम रविवार को गोद रखा तभी से अपीलांट प्रार्थी भागीरथ व रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 जो भागीरथ की पत्नी है, के पास गोदपुत्र की हैसियत से रहता चला आ रहा है। स्वर्गीय भागीरथ का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 ने अपीलांट प्रार्थी को गोदपुत्र होने से इनकार करते हुए स्वर्गीय भागीरथ की विरासत अकेले रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने का प्रयास किया, जिससे अपीलांट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दस्तवोजी साक्ष्य के रूप मे भागीरथ के द्वारा अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे लिखे गोदनामे की छायाप्रति, नकल जमाबंदी, नकल मृत्यु प्रमाण-पत्र भागीरथ, नकल स्नेह-निमन्त्रण पत्र जो भागीरथ ने अपीलांट प्रार्थी को गोदपुत्र रखे जाने के उपलक्ष मे छपवाये गये, नकल शोक-पत्रिका स्वर्गीय भागीरथ की , नकल बैंक पास-बुक बैकं ऑफ बडौदा शाखा बोहेड़ा जिसमे भागीरथ ने अपीलांट प्रार्थी के पिता के रूप में संयुक्त खाता खुलवाया , नकल आधार-कार्ड प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट प्रार्थी के पिता का नाम भागीरथ अंकित है। साथ ही पत्रावली मे उपलब्ध गोदनामा जिसमे भागीरथ, अपीलांट प्रार्थी के वास्तविक पिता हीरालाल व उपस्थित पंचान व मोतबीरान के हस्ताक्षर है, उक्त गोदनामा दिनांक 09.06.2013 सम्वत 2070 ज्येष्ठ सुदी एकम रविवार को निष्पादित किया गया जिससे अपीलांट प्रार्थी सामाजिक रीति रिवाज से स्वर्गीय भागीरथ व रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 धापूबाई का गोदपुत्र होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उक्त सभी दस्तावेजो से अपीलांट प्रार्थी, स्वर्गीय भागीरथ व रेस्पोडेन्ट विपक्षी संख्या 1 धापूबाई का गोदपुत्र होना प्रतीत होता है, जिसका वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम रखी जाना न्यायोचित था। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वरूप अपील अपीलांट प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी प्रकरण संख्या 38/2016 प्रार्थना-पत्र निर्णय दिनांक 27.12.2016 निरस्त किया जाकर अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह प्रार्थना-पत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात का मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति कायम रखते हुए मूलवाद का यथाशिघ्र निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)